Act No. 39 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 3

श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 41 का संशोधन ।

श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 29 सितम्बर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2011 का 3 2. श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचास वर्ष" शब्द रखे जाएंगे । धारा 41 का संशोधन ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

By Behari Lal Butail

अध्यक्ष ।

शिमला—171004.

दिनांक : 29-4-2013

मैं इस विधेयक पर अनुमति देता हूं।

राज्यपाल

हिमाचल प्रदेश

शिमला—171002.

दिनांक 28-5-2013

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

अध्यक्ष।

शिमला–171004.

दिनांक :29-4-2013

मैं इस विधेयक पर अनुमति देता हूं।

राज्यपाल

हि॰ प्र॰ राज्यपाल

शिमला–171002.

दिनांक 28-5-2013

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 3 OF 2013

THE SRI SAI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE SRI SAI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 41.

BILL NO. 3 OF 2013

THE SRI SAI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Act, 2010 Act No. 3 of 2011).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 29th day of September, 2010.

2. In section 41 of the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Act, 2010, in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "fifty years" shall be substituted. Amendment of section 41.

of 2011

मैं, "श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 3)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ ।

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।

राज्यपाल ने "श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 3)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।